"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 584] नवा रायपुर, बुधवार, दिनांक 30 जुलाई 2025 — श्रावण 8, शक 1947

श्रम विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 30 जुलाई 2025

आदेश

क्रमांक ESTB-1/1139/2025-LABOUR.— छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए इस संबंध में पूर्व में प्रसारित समस्त अधिसूचनाओं को निष्प्रभावी करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा श्री हिम शिखर गुप्ता (भा.प्र.से.) श्रमायुक्त को छत्तीसगढ़ राज्य के लिए ''मुख्य सुलहकार'' नियुक्त करता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
चेतन बोरघरिया उप–सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar, the 30th July 2025

NOTIFICATION

No. ESTB-1/1139/2025-LABOUR.— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 4 of Chhattisgarh Industrial Relation Act, 1960 and in supersession of all previous notification issued on the Subject, State Government hereby appoints Shri Him Shikhar Gupta (I.A.S.) Labour Commissioner to be "Chief Conciliator" for the State of Chhattisgarh.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
CHETAN BORGHARIYA, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2025.